न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 08 / 2025

1. कालूराम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी चक 20 एम जे डी, इन्द्रपुरा हाल धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. श्रवण पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 20 एम जे डी, इन्द्रपुरा हाल धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
2. श्रीमती सविता पत्नि संजय जाति जाट निवासी हाल 31 एम.एम.के. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आवंटन एक प्लॉट नम्बर सी 363, दिनांक 22.04.1996, ग्राम धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ जिसमे इस प्लॉट के दो भाग कर पूर्व दिशा की तरफ का भाग 1440 वर्गफुट निशुल्क लघु सीमांत व कृषको के मद में आवंटन किया गया पटटा बिना नम्बरी को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02।

—:निर्णयः—

दिनांकः—२८.11.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है प्रार्थीगण ग्राम पंचायत धौलीपाल तहसील हनुमानगढ़ के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 20 एम जे डी मे पड़ती है जहां ढाणी बनी हुई है इसलिए प्रार्थीगण कृषि भूमि मे भी निवास करते है लेकिन मुख्य रूप के बाशिदे धौलीपाल के ही हैं। ग्राम धौलीपाल के अन्तर्गत प्लॉट नम्बर सी 363 जो कि एकल प्लॉट था उसके दो भाग कर पूर्व तरफ के भाग का पटटा मिथ्या रूप से अप्रार्थी नम्बर 02 को बनाकर दे दिया गया। जो तारीख 22.04.1996 को बनाया गया है जिस पर किसी भी प्रकार की मिसल नम्बर, पटटा बही नम्बर आदि दर्ज नही है पट्टा मिथ्या है। उक्त पटटा के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है— उत्तर 12 फुट, दक्षिण 36 फुट पूर्व 14.5 फुट पश्चिम 60 फुट कुल 1440 वर्गफुट आसापासा उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में प्लॉट नम्बर सी 354, पूर्व मे अबोहर हनुमानगढ़ मुख्य सड़क आम, पश्चिम में प्लॉट नम्बर सी 363 का शेष भाग। जो मिलीभगत कर फर्जी रूप से कमला सरंपच द्वारा बनाया गया है। किसी प्रकार का कोई इन्द्राज इस पटटा बाबत रिकॉर्ड में नहीं हैं। ना तो पटटा बही में इन्द्राज है और ना ही मिसल बदोबस्त ग्राम धौलीपाल मे इन्द्राज है। कोई भी प्लॉट का मन्जूर करना या उसका पटटा जारी करना मुख्य मार्ग के मध्य से 40 फुट व मुख्य सड़क आम से 100 फुट की सीमा तक जारी नही किया जा सकता जबकि इस मामला मे इस नियम की पालना नहीं की गई है। उक्त पटटा मन्जूर करने से पूर्व ना कोई विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ ना कोई फीस भरी गई ना कोई नक्शा बनाया गया ना कोई नोटिस जारी किये गये, ना ओबजेक्शन मागे गये, ना कोई पंचायत की रिपोर्ट हुई ना ही मामला पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में आया ना ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ बल्कि पटटा फर्जी बनाया गया है। कोई मिटिंग नहीं हुई मात्र मिथ्या प्लॉट का पटटा जारी करने का कार्य गुपचुप तरीके से किया गया है। सरंपच कमला द्वारा की फर्जी कार्यवाही की गई लगती है। उक्त

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पटटा अपने जानकार को जारी कर दिया। मुताबिक तत्कालीन कानून किसी प्लॉट का पटटा मन्जूर करने का आधार मात्र काश्तकार या आर्टीशियन को जो कि उसी ग्राम का हो या हरिजन हो तो उसे प्लॉट बिना किमतन मन्जूर करने का प्रावधान है। वादाधीन प्लॉट का पटटा देने के लिए इस हेतू बने तत्कालीन पंचायत कानून व नियमों व प्रक्रिया की कोई पालना नही की गई। प्रश्नगत भूमि प्लॉट की जगह पर अप्रार्थी न. 2 या उसके परिवार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही आज है। बल्कि कब्जा प्रार्थीयान के परिवार का है। जो अर्सा दराज से चला आ रहा है। इसलिए कमला सरपंच द्वारा जारी पटटा बिना नम्बर दिनांक 22.04.1996 सम्भवतया बाद की तारीखी मे कभी जारी किया गया है इसलिए पटटा का नम्बर व मिसल नम्बर दर्ज नहीं है। पटटा को मन्जूर करने का अनुमोदन पंचायत की मिटिंग में विधिक रूप से नहीं हुआ। अप्रार्थीया नम्बर 02 अत्यधन्त धनाड्य व प्रभावशाली परिवार से है इसलिए अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी न. 2 के परिवारजनो द्वारा साजिश कर मिथ्या रूप से पट्टा तैयार किया गया है जो काबिल निरस्त के है। अप्रार्थीया न. 2 व उसके परिवारजनो के पास मकान व प्लॉट काफी मात्रा में है और इनका निवास स्थान ग्राम धौलीपाल नही है। पटटा स्थल पर इनका कब्जा पुराना कभी भी नहीं रहा था व ना ही आज है बल्कि पुराना कब्जा लगातार प्रार्थी नम्बर 1 के पिता व प्रार्थी नम्बर 2 के दादा का मनफुल पुत्र श्योनद राम निवासी धौलीपाल का कब्जा था। मनफुल को उक्त प्लॉट मिसल नम्बर 633 तारीख 15.12.1963 को पट्टा दिया गया था। उस वक्त पक्की सड़क भी नही थी। उक्त पटटा कीमतन दिया गया था लेकिन उसे बाद मे जिला कलैक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा सारे पट्टो को खारिज कर दिया गया था लेकिन कब्जा फिर भी मनफुल का बना रहा। मनफुल को किसी के द्वारा बेदखल नहीं किया गया था और मनफुल की मृत्यु के बाद प्रार्थीयान व मनफुल के अन्य वारिसान का कब्जा है। मौका पर चार दीवारी व एक मकान भी बना हुआ है जो मौका पर मौजुद है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व पंचायत कानून व नियमों की किसी भी प्रकार की कोई पालना नही की गई है। मात्र मिलीभगत कर उक्त फर्जी रूप से प्लॉट का पटटा मन्जूर किया गया है। इस प्रकार उक्त पंचायत कानून व नियमों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त के है। यह पटटा अपने जानकार जन को दिये है। प्रार्थी को व ग्रामवासियों को सुनवाई हेतू नोटिस दिया जाना व जवाब देने का अवसर दिया जाना होता है। जिस जगह का प्लॉट होता है वहां के लोगो के एतराज मांगे जाते है जबकि ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में यह भूमि पटटा धारक अप्रार्थी नम्बर 02 व उसके परिवारजनो के कब्जा में नहीं है और ना ही उनके द्वारा कभी प्रयोग की गई है। प्रार्थीयान पटटा को जारी करने की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी कालूराम द्वारा इस प्लॉट सी 363 की निस्बत एक बाद सिविल न्यायालय मे निषेधाज्ञा का सविता के पति संजय पुत्र जयदेव व इनके ही परिवार के रामकुमार पुत्र सदूराम के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया हुआ है जिसमे उक्त पटटा व एक अन्य पटटा अप्रार्थीया नम्बर 2 के नाम का प्लाट सी 363 के आधे भाग का इसी तारीख का पेश हुआ है। तब भी कोई जानकारी प्रार्थीयान को नही हुई तथ प्रार्थीयान को वकील द्वारा उक्त पटटो के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गई थी। लेकिन पूर्व अधिवक्ता द्वारा उक्त दोनो पट्टे के सबंध मे सूचना के अधिकार मे पचायत से सूचना मागी थी जो पंचायत द्वारा दी गई थी। लेकिन इसकी भी कोई जानकारी हम प्रार्थीगण को अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई थी। कुछ समय बाद प्रार्थीयान द्वारा अपना वकील तारीख 28.02.2025 को बदला। तब उसके द्वारा न्यायालय की मिसल देखने पर बताया गया कि प्लॉट न सी 363 के दो भाग कर एक पटटा आधे भाग का सविता के नाम और दूसरा पटटा आधे भाग का वनिता के नाम बना हुआ है। तब प्रार्थीयान को इन पटटो की जानकारी दिनाक 28 02.2025 को हुई। इसके बाद प्रार्थीगण द्वारा पूर्व अधिवक्ता से वार्तालाप करने पर उनके द्वारा प्रार्थीयान को वो दस्तावेज जो सूचना के अधिकार के जवाब में पंचायत द्वारा दिया गया था वह दस्तावेज प्रदान किया और प्रार्थीयान ने स्वयं भी अपने कब्जा के सबंध में दस्तावेज प्राप्त किया हुआ था। इस प्रकार प्रार्थीयान को दिनाक 28.02.2025 को नये अधिवक्ता द्वारा बताये जाने पर उक्त निगरानी अधीन दोनो पट्टो की जानकारी हुई थी। जिसके पश्चात फोटोप्रति लेकर उक्त पटटे के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जारी है। असल यदि वास्तविक है तो वह पट्टा अप्रार्थी नम्बर 2 के पास होगा जो उससे पेश करवाया जावे। उसके पश्चात प्रार्थीयान ने इसकी तमाम जानकारी हासिल की तो पता चला कि ग्राम पचायत धौलीपाल द्वारा कोई पटटे सविता व

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

वनिता के नाम से जारी किये हुये नहीं है। इस प्रकार निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद है। प्रार्थीयान ने पचायत से रिकॉर्ड की नकले मागी जो अप्रार्थी न 1 ने नही दी इसलिए जो कॉपी उपलब्ध हुई उसी पर निगरानी पेश है। नकल प्रमाणित प्रति मिलने पर पेश कर दी जावेगी। लेकिन पचायत का कथन है कि वनिता व सविता के नाम से पटटा होने का कोई रिकॉर्ड अथवा मिसल पचायत रिकॉर्ड मे नही है। प्रार्थीयान को उक्त पटटो की जानकारी नही थी। कि प्रार्थीयान प्रश्नगत पटटा से प्रभावित है। प्रश्नगत स्थल का कब्जा प्रार्थीयान व परिवार के पास है। इसलिए प्रार्थीयान प्रभावित व्यक्ति है और उसकी स्थल के स्थाई निवासी है इसलिए उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। लिहाजा निगरानी प्रस्तुत कर अर्ज है कि पटटा दिनाक 22.04.1996, बिना नम्बरी, बिना मिसल नम्बरी, बिना सकल्प नम्बर, श्रीमती जिला कलक्टर सविता पत्नी सजय जाति जाट निवासी हाल 31 एम एम के तहसील व जिला हनुमानगढ का निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलवी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये उक्त पट्टे कतई मिथ्या व फर्जी है। जिस वक्त निगरानी दायरी की गई थी. उस वक्त कथित पट्टों की यह जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं थी कि उक्त पट्टे फर्जी होने के साथ–साथ यह भी स्पष्ट है कि पट्टों के उपर कमला सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त निगरानी के अंतर्गत मुख्य रूप से बिन्दु यह है कि तारीख 22.4.96 को सविता व वनिता के नाम से ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं या नहीं। दूसरा बिन्दु यह था कि प्लाट सी–363 के अंतर्गत उसके दो भाग कर 1440–1440 वर्गफुट का पट्टा एक सविता व एक वनिता के नाम जारी किया गया है। उक्त पट्टे सविता व वनिता दोनों के नाम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कारीगरों व लघु सीमान्त कृषकों आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड के तहत पट्टे जारी किये गये है जबकि सविता व वनिता मुख्य रूप से इस श्रेणी में नहीं आती है। सविता का पति संजय तथा वनिता का पति सचिन दोनों ही धोलीपाल ग्राम के मौजिज व भूमिधारी कृषक थे। इन दोनों पिता ग्राम धोलीपाल के सरपंच थे और इन दोनों के दादा भी ग्राम धोलीपाल के सरपंच थे। ग्राम धोलीपाल के अंतर्गत वादाधीन प्लाट नं. सी–363 का पट्टा पूर्व में मनफूल के नाम से दिया गया था लेकिन बाद में वह पट्टा कलक्टर महोदय द्वारा खारिज कर दियो जाना बताया गया लेकिन उक्त प्लाट नं. सी–363 पर प्रार्थी कालूराम के पिता मनफूल से किसी के द्वारा कब्जा इस प्लाट का नहीं लिया गया और मनफूलराम जब तक जीवित रहा तब तक उस पर काबिज रहा व उसके बाद प्रार्थीगण बतौर वारिस काबिज है। उक्त पट्टे देखने मात्र से स्पष्ट है कि पट्टे विधि विरुद्ध है क्योंकि मुख्य सड़क से कम से कम 100 फुट दुरी पर होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है। उक्त पट्टे देखने मात्र से यह परिलक्षित होता है कि प्लाटों के प्लान के विपरीत एक प्लाट सी–363 के दो भाग कर अलग–अलग पट्टे सविता व वनिता के नाम से जारी किये है जो पंचायत के अधिकार में नहीं है तथा पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी भी नहीं किया गया है. फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया है। पट्टा के उपर मिसल नम्बर अथवा पट्टा बही का नम्बर दर्ज नहीं है जिससे स्पष्ट है कि पंचायत में इनकी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 1440 वर्गफुट जगह 160 वर्गगज बनती है जबकि इस श्रेणी के लोगों के पट्टे 150 वर्गगज से अधिक का पट्टा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सविता व बनिता को दिये गये पट्टे जो 160 वर्गगज के बनते हैं. गैरकानूनी है। धारा 158 कानून पंचायत द्वारा पालना नहीं थी। उक्त पट्टों जो सविता व वनिता को दिये हैं, के लिए कोई प्रार्थना पत्र पंचायत में इन दोनों महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये. ना ही कोई नक्शाबनाया गया, ना ही कोई ऐतराज मंगवाये गये ना ही मौका की कोई रिपोर्ट हुई, इस स्थिति के बिना कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर में प्रार्थना पत्र प्लाट सी–363 के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने अथवा पंचायत की कार्यवाही में प्रस्ताव प्रस्तुत होने अथवा प्रस्ताव पारित होने अथवा इन दोनों महिलाओं सविता

पर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

व सविता के नाम से पट्टे जारी करने का आदेश पंचायत की मीटिंग में पारित होने से संबंधी कोई रिकार्ड पंचायत के रिकार्ड में नहीं है। इसलिए पट्टे शरीहन तौर पर फर्जी है। दोनों निगरानी नं. 7/2025 व 8/2025 क्रमशः कालूराम बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि व दूसरी भी कालूराम बनाम ग्राम पंचायत आदि पेश होने के पश्चात् अदालतहाजा द्वारा पंचायत को आदेश जारी कर पंचायत से उक्त पट्टों से संबंधित मूल रिकार्ड की मांग की गई तब पंचायत द्वारा अपना पत्र जारी करते हुए दोनों निगरानीयों के संबंध में एक ही पत्र देते हुए कथन किया कि उक्त प्लाटों के संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड प्लाट सं. सी–363 के संबंध में तारीख 22.4.1996 का पट्टों का व दो भाग करने संबंधी कोई रिकार्ड नहीं है। इससे स्पष्ट है कि तमाम कार्यवाही सविता व वनिता अथवा उनके परिवारजनों द्वारा मिथ्या रूप से की गई है और फर्जी पट्टे तैयार किये गये है। इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत जहां मामला फर्जी हो और मिथ्या रिकार्ड तैयार किया गया हो अथवा पंचायत की संपत्ति को हड़प करने के लिए फर्जी पट्टे बनाये गये हों जिनका पंचायत में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध न हो, उस स्थिति के अंतर्गत पंचायत कानून के तहत निगरानी दायर कर पट्टों को निरस्त किया जाना चाहिए जिसके लिए निगरानी हेतु कोई मियाद नहीं है जिसके संबंध में प्रार्थी DNJ 2018 (2) Raj page 497 को प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्राईवेट पट्टे गलत रूप से मेलाफाइड तरीके से बनाये गये हों, तो उसके लिए निगरानी पेश करने की कोई मियाद नहीं है। उक्त पट्टे यदि ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा जारी किये गये होते तो उस पर निश्चित तौर पर सचिव महोदय के हस्ताक्षर व मोहर होती, जो कि नहीं है। अतः लिखित बहस पेश कर अर्ज किया कि सविता व वनिता के नाम जारी किये गये 1440 वर्गफुट के उक्त पट्टे दोनों के नाम अलग–अलग पट्टे तारीख 22.4.1996 को निरस्त किया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. DNJ 2018(1) Page 111
2. DNJ 2018(4) Page 1660
3. DNJ 2010(3) Page 1147
4. DNJ 2018(2) Page 497
5. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, नियम 157 एवं 158

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा अप्रार्थीया संख्या 2 व बनिता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 22.04.1996 को चुनौती देते हुए यह निगरानी प्रार्थना पत्र लगभग 30 वर्ष पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2025 को प्रस्तुत किया है। यह पट्टा तत्कालीन सरपंच द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थीया सख्या 2 व बनिता के पक्ष में जारी किये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या सी 363 का पूर्व में पट्टा दिनांक 15.12.1973 को मनफूल पुत्र श्री श्योनंद के पक्ष में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से जारी हुआ था जो जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.12.1978 को निरस्त कर दिया गया। इस भूखंड पर ना तो श्री मनफूल का कभी कब्जा रहा व ना ही प्रार्थीगण का कभी कब्जा रहा। यह भूखण्ड दिनांक 22.04.1996 से अप्रार्थीया सख्या 2 व वनिता के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है। इसी भूखण्ड के संबंध में प्रकरण संख्या 14/2000 अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के समक्ष प्रारम्भ हुआ था जिसमें पट्टा दिनांक 22.04.1996 के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 2 व वनिता के पति श्री सचिन देव सिंह का कब्जा मानते हुए धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही दिनांक 30.09.2004 को ड्रोप फरमाई गई थी। प्रार्थीगण ने इस भूखण्ड पर अपना कब्जा होने के मिथ्या कथन किए है। ग्राम पंचायत धोलीपाल के वर्तमान सरपंच/प्रशासक श्री चरण सिंह का अप्रार्थीया सख्या 2 के परिवार के साथ राजनैतिक द्वेष है तथा इसी कारण उसने रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डीएनजे 2018 (2) पेज 497 के तथ्य भिन्न है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा के जारी होने के तथ्य का उक्त वर्णित

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

दीवानी वाद में ही ज्ञान हो चुका था। यह निगरानी प्रार्थना पत्र सर्वथा मियाद वाहर है तथा निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त सादर प्रस्तुत है–

1. डीएनजे 2012 (2) राजस्थान पेज 602,
2. डीएनजे 2008 (2) राजस्थान पेज 735,
3. डीएनजे 2015(4) राजस्थान पेज 1853
4. RBJ 2002 Page 193 H.C.

प्रार्थीगण के पूर्वज मनफूल को प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्व में जो पट्टा जारी हुआ था, वह जिला कलैक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिए प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूखण्ड में कोई हित निहित नहीं है तथा वे किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। इस कारण भी उन्हें यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गुणोवगुणों पर एवं मियाद बिंदू पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2025 के साथ अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। उक्त आंवटन एक प्लाट तारीख 22.04.1996 ग्राम पंचायत धौलीपाल के संबंध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। उक्त आवंटन 1996 से 2025 तक उन्नतीस वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 29 साल बाद उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।
2. अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें विलम्ब से पेश करने पर बखुबी चस्पा होती है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़